134

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /11/ 2017 निगरानी R 1518 – II-17

1. प्यारेलाल पुत्र महारमा हरिजन
2. उधम पुत्र मुन्ना हरिजन

निवासीगण – ग्राम आंवरी माफी तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

1. गुमानबाई बेवा ग्यारसा हरिजन निवासी ग्राम आबरी माफी तहसील व जिला अशोकनगर
2. गेंदाबाई पुत्री ग्यारसा पत्नी रामबाबू निवासी ग्राम बमुरिया साढौरा तहसील साढौरा जिला अशोकनगर
3. रतिबाई पुत्री ग्यारसा पत्नी कोमलसिंह निवासी ग्राम मल्हारगढ , तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर
4. गुल्लोबाई पुत्री ग्यारसा पत्नी नारायण सिंह निवासी ग्रामपगारा तहसील गुना जिला गुना
5. प्राण सिंह पुत्र ग्यारसा निवासी आबरी माफी तहसील व जिला अशोकनगर

.... अनावेदकगण

मृत महारमा के वैधानिक वारिसान

6. कस्तूरीबाई बेवा महारमा हरिजन निवासी आंवरीमाफी तहसील व जिला अशोकनगर

मृत सुन्दरलाल के वैधानिक वारिसान

7. हरीचरण पुत्र सुन्दरलाल निवासी आंवरी माफी

8. मोहरबाई वेवा सुन्दरलाल निवासी आंवरी माफी
9. हेमलताबाई पुत्री सुन्दरलाल हरिजन पत्नी शैतान सिंह निवासी आदेरिला तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.
10. कमला पुत्री सुन्दरलाल पत्नी मुकेश हरीजन निवासी ग्राम बेलई तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.,
11. राजाराम पुत्र पुन्ना हरिजन निवासी आंवरीमाफी
12. राजबाई पुत्री पुन्ना हरीजन पत्नी भवंरलाल हरीजन निवासी बेलई तहसील चंदेरी
    मृत सिरनाम के वारिसान
13. कलाबाई वेवा सिरनाम हरीजन निवासी ग्राम आंवरीमाफी
14. सीताबाई पुत्री सिरनाम सिंह पतनी बहादुर सिंह निवासी ग्राम कस्बा तहसील
15. गायत्री पुत्री सिरनाम आयु 15 नावालिग सरपरस्त माता कलाबाई वेवा सिरनाम सिंह हरिजन निवासी आंवरीमाफी
16. कसिया वेवा गंगा हरिजन निवासी आंवरीमाफी
17. कस्तूरी वेवा भोगी हरिजन निवासी आंवरीमाफी
18. प्रकाश पुत्र भोगी हरीजन निवासी आंवरीमाफी
19. मोतीलाल पुत्र भोगी हरीजन निवासी आंवरीमाफी

20. शिवचरण पुत्र भोगी हरीजन निवासी आंवरीमाफी

21. फूलबाई पुत्री भोगी हरीजन पत्नी पूरन सिहं निवासी ग्राम सहोदरी तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

मृत. पनियाबाई पुत्री नत्था पत्नी दौजा हरिजन के वैधानिक वारिस–

22. रामप्रसाद पुत्र दौजा हरीजन निवासी ग्राम सेमाटोरा तहसील व जिला अशोकनगर

23. विजय सिंह पुत्र दौजा हरीजन निवासी ग्राम सेमाटोरा तहसील अशोकनगर

24. मोहर सिहं पुत्र दौजा हरीजन निवासी ग्राम सेमाटोरा तहसील अशोकनगर

25. हिरियाबाई पत्नी गज्जूराम पुत्री नत्था हरीजन निवासी थूबोन तहसील चंदेरी

मृत परमोबाई पुत्री नत्था पत्नी पुन्नालाल के वैधानिक वारिस –

26. भैयालाल पुत्र पुन्नालाल हरीजन निवासी सराई तहसील आरोन

..... तरतीवी पक्षकारगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्वसंहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर प्रकरण क्रमांक 167–अपील / 2010–11 द्वारा पारित आदेश दिनांक12.04.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार के समक्ष बंटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम रावंसर खाता क्रमांक 494 किता

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1518–दो/17 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
16–11–17	आवेदकगण के अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदकगण के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर के प्रकरण क्रमांक 167/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण द्वारा ग्राम रांवसर खाता क्रमांक 494 किता 2 रकवा 1.557 है0 एवं ग्राम रूसल्लाखुर्द खाता क्रमांक 9 किता 1 रकवा 0.836 है0 खाता क्रमांक 21 किता 1 रकंवा 0742 है0 एवं ग्राम परासरी टीकाराम खाता क्रमांक 68 किता 1 रकवा 1.294 है0 एवं ग्राम आवरीमाफी खाता क्रमांक 103 किता 1 रकवा 0.836 है0, 167 किता 2 रकवा 0.962 है0, 168 किता 2 रकवा 0.951 है0 सहमति के फर्जी निशानी अंगूठा आवेदन पर लगाकर उपरोक्त भूमियों का सहमति वटवारा किये जाने बावत बटवारा आवेदन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर आलोच्य आदेश दिनांक 8.1.01 को पारित करा लिया इससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसके साथ धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया।	

अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर द्वारा दिनांक 12.4.17 द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार कर लिया गया, इसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदकगण अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदकगण द्वारा आदेश दिनांक 8.1.2001 के विरूद्व अपील 10 साल वाद प्रस्तुत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। सहमति से ही विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अनावेदकगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये और कथन अंकित किये एवं फर्द बटवारा पर सहमति से हस्ताक्षर किये हैं और कानून की ऐसी नजीरे है कि सहमति बंटवारा आदेश के खिलाफ अपील वर्जित है। इसलिये ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि बंटवाराकृत भूमि को बंटवारा हो जाने के एक वर्ष वाद अनावेदक कमांक 1 एवं 5 ने बंटवारे में प्राप्त भूमि को तोफान सिंह रघुवंशी अशोक नगर व अन्य को विकय कर दी है। जिससे अनावेदकगण को प्रश्नाधीन बटवारे की पूर्व से जानकारी थी फिर भी अनावेदकगण द्वारा बंटवारा आदेश के विरूद्व 10 साल 6 माह बाद अपील प्रस्तुत की है इसलिये ऐसा आदेश निरस्ती योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 12.4.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य वटवारा आदेश बटवारा नियम एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत का पालन न कर पारित किये जाने से ऐसा आलोच्य बटवारा

आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया हे कि कानूनन बटवारा करने के पूर्व सभी सह खातेदारों को व्यक्तिशः बुलाकर उनकी उपस्थिति में वटवारा की कार्यवाही की जाना चाहिये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण के फर्जी सहमति के अंगूठा लगाकर सहमति वटबारा हेतु प्रस्तुत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना तलब किये बिना सुने सही मानकर आलोच्य बटवारा आदेश पारित कर दिया ऐसा आलोच्य आदेश आवेदक की बिना सहमति के पारित किया जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 का आवेदन विधि प्रावधानों से स्वीकार किया गया है जिसे स्थिर रखा जावे। **धारा–5 विलंब की मांफी व्यथित पक्षकार हितबद्व को कभी सूचना नहीं दी गई–आदेश की जानकारी होने पर अपील फाइल कर सकता है– 12 वर्ष के विलंब की मांफी ठीक ही आदेशित की गई 2000 राजस्व निर्णय 153** । अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरनी निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

4–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों तथा दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक के अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य है कि आदेश दिनांक 19.12.2000 में अनावेदक क्रमांक 1, 2 की उपस्थिति होना लिखा है किन्तु उपस्थिति बतौर अंगूठा आदेश पत्रिका में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अनावेदकगण को इस आदेश का पता ही नहीं

था। अनुविभागीय अधिकारी द्वांरा दिनांक 12.4.17 को धारा–5 का आवेदन विधि प्रावधानों के अन्तर्गत ही स्वीकार किया गया है। **परिसीमा अधिनियम 1963 धारा–5 विलंब माफ करने में उदार रूख अपनाया जाना चाहिये सामान्यतः विलंब मांफ किया जाना चाहिये। ए0 आई0 आर0 1987 एस0सी0 1353 से अनुसरित। 1–भेंरों प्रसाद विरूद्व म0 प्र0 शासन 2008 जे0एल0जे0 288 घारा–5 विंलब की मांफी के लिये आवेदन की जांच आवश्यक नहीं हैं जब तथ्य से ही अपीलांट को जानकारी में हैं।**

5–उपरोक्त विवेचना के आधार एवं न्याय दृष्टांत के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर के प्रकरण कमांक 167/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

सदस्य